संख्या-79/2017/1185/छप्पन-2017-01/2015

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2017

विषय: कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्याः487/ए0एफ0-114-15/2017, दिनांक 17 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के कार्यों में हुए अद्यतन व्यय व भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष धनराशि रूपए 34.9165 करोड़ को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-12/2016/1412/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 03 फरवरी, 2016 के द्वारा कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में राजकीय हवाई पट्टी का निर्माण किये जाने हेतु राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रूपये 118.9165 करोड़ की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 44.00 करोड़, एवं शासनादेश संख्या-26/2017/206/छप्पन-2017-01/2015 दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपए 40.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी थी। इस प्रकार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष रूपए 84.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रूपए 34.9165 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

3- अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि रूपए 34.9165/- (रूपया चौंतीस करोड़ इक्यानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्षक '' 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इसका ससमय उपयोग कर लिया जाय अन्यथा स्थिति में निदेशक, नागरिक उड्डयन इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

7- शासनादेश संख्या-12/2016/1412/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 03 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017- 231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-79/2017/1185(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
(4) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर / जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व / भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कानपुर देहात।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4 / राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in